



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / पात्रता / 2017 / 951

दिनांक : 30-11-17


--: अधिसूचना :-

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.10.2017 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“विशेष आमंत्रित सदस्य(अध्यक्ष अध्ययन मण्डल) द्वारा अवगत कराया गया कि, बी.सी.आई. के रेग्यूलेशन आदेश पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है एवम् बी.सी.आई. द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अभिकथन भी प्रस्तुत किया गया है कि, पुराने नियम ही प्रचलन में रहेंगे। अतः तदनुसार निर्णय लिया गया कि, विधि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में अधिकतम प्रवेश की आयुसीमा 45 वर्ष मान्य की जावे।”

अतः तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

आदेशानुसार


  
कुलसचिव

क्रमांक / अकादमिक / पात्रता / 2017 / 952

दिनांक : 30-11-17

प्रतिलिपि :-

01. उप/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
02. प्रभारी, ऑनलाईन सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
03. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर प्रेषित कर सूचित है कि, उपरोक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
04. कुलपतिजी / कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन। की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

  
उपकुलसचिव(अकादमिक)